सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 91/13 **निर्णय दिनांकः–16.08.2019**

1. मोहनलाल पुत्र लालाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. भंवरलाल पुत्र स्व. मोडाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर।
2. घेवरचन्द पुत्र स्व. मोडाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर।
3. रामलाल पुत्र स्व. मोडाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर। (मृतक)
4. महेराचन्द्र पुत्र स्व. मोडाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर।
5. कुन्दनमल पुत्र स्व. मोडाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर।
6. मृतक लालाराम पुत्र हरनारायण पुत्र लाभूराम जरिये वैधानिक प्रतिनिधिगण

1/1. गीतादेवी बेवा लालाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर।

1/2. मूलचन्द पुत्र लालाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर।

1/3. रामाकिशन पुत्र लालाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, पुरानी गिन्नणी, बीकानेर।

1/4. मोहनी पुत्री लालाराम पत्नी परमेश्वरलाल जाति माली निवासी बंगलानगर पुगल चौराहे के पास, बीकानेर।

1/5. राधादेवी पुत्री लालाराम पत्नी सत्यनारायण गहलोत निवासी मिनर्वा सिनेमा के पीछे चौतीना कुंआ, बीकानेर।

6/6. चन्द्रादेवी पुत्री लालाराम पत्नी रूपचन्द जाति माली निवासी पठानों का मौहल्ला, बागवानों की गली, पानी स्टेण्ड के पास फड़ बाजार, बीकानेर।

7. मृतक शेराराम पुत्र हरनारायण पुत्र लाभूराम जरिये वैधानिक प्रतिनिधिगण

7/1. ज्ञानीदेवी पत्नी हरनारायण जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।

7/2. भंवरलाल पुत्र स्व. शेराराम जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।(मृतक)
7/3. परमेश्वरलाल पुत्र स्व. शेराराम जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।
7/4. श्यामसुन्दर पुत्र शेराराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ, बीकानेर।
7/5. मूलचन्द पुत्र शेराराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ, बीकानेर।
7/6. माया पुत्री शेराराम पत्नी सांवरलाल जाति माली निवासी चौतीना कुंआ, बीकानेर।
7/7. गायत्री पुत्री शेराराम पत्नी बद्रीनारायण जाति माली निवासी रानीबसर बास, एम.एस. कॉलेज के पीछे, बीकानेर।
8. मृतक गोपीकिशन पुत्र हरनारायण वल्द लाभूराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंआ, सूचना केन्द्र के पास, बीकानेर।
8/1. बजरंग लाल भाटी पुत्र गोपीचन्द भाटी निवासी रामपुरा बस्ती लालगढ़, बीकानेर।
8/2. चांदरतन भाटी पुत्र गोपीचन्द भाटी निवासी केसरदेसर कुंआ के पास, बीकानेर।
8/3. संतोष देवी गहलोत पुत्री गोपीचन्द भाटी पत्नी भंवरलाल गहलोत निवासी छोटी प्याऊ के पीछे, नत्थूसर बास, बीकानेर।
8/4. कान्ता देवी पुत्री गोपीचन्द पत्नी लक्ष्मण गहलोत निवासी पुरोन कंऐ के पास, सुजानदेसर, बीकानेर।
9. मृतक मोडाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली जरिये वैधानिक प्रतिनिधिगण
9/1. गुमानी पुत्री मोडाराम पत्नी झंवरलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2013
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री बृजेश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दौलत सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1, 2, 4 व 5
3. श्री विरेन्द्र आचार्य, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या
   6/1 से 6/4, 6/6, 7/1 से 7/5, 7/7 व
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30—04—2013 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आश्य का पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 28 तादादी 79 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल नये खसरा नम्बर 89/44, 89/45, 89/52, 89/53, 89/60 व 89/61 व खसरा नम्बर 109/4 की कुल तादादी 80 बीघा भूमि वाके ग्राम खारा में स्थिति है। उक्त भूमि संवत् 2005 की मिसल बन्दोबस्त में उनके दादा पुरखाराम के नाम दर्ज रही तथा सवंत् 2015 तक की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में उनके दादा पुरखाराम पुत्र आसूराम के नाम दर्ज होती रही। पुरखाराम जी की मृत्यु संवत् 2016 में होने पर उनके बाद उक्त आराजी उनके एक मात्र पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता मोडाराम के नाम आई तथा वे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की भूमि पर जन्म से ही पोते होने से उत्तराधिकार हुए। अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट के पिता हरनारायण ने राजस्व अमले से मिली भगत करके उपरोक्त भूमि अकेले अपने नाम जरिये इंतकाल संख्या 70 दिनांक 25—0371970 मोडाराम व हरनारायण पुत्रगण पुरखाराम तस्दीक करवा लिया गया। जबकि हरनारायण लाभूराम के पुत्र थे व हरनारायण की मृत्यु के उपरान्त विरासतल इंतकाल संख्या 89 दिनांक 28—01—1974 को दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलंट व हरनारायण के वारिसान को उक्त भूमि से बेदखल करने का दावा पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 14 तनकीयात कायम की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वाद डिक्री कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा ना तो अपीलांट को ना ही उसके सह हिस्सेदारों को साक्ष्य के लिये न्यायालय में तलब किया गया ना ही किसी प्रकार के कोई दस्तावेज पेश करवाये गये। ऐसी स्थिति में किसी अधिवक्ता की गलती का खामियाजा किसी पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय यह भी है कि दौराने दावा पक्षकार रामलाल की मृत्यु हो चुकी थी ऐसी स्थिति में रामलाल के जायज वारिसान को पक्षकार व साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। इसी प्रकार शेराराम के वारिस भंवरलाल जोकि वाद में 2/2 प्रतिवादी के तौर पर स्थापित था, की भूमि मृत्यु दौराने वाद हो चुकी थी लेकिन वादीगण द्वारा जानबूझकर स्व. भंवरलाल के वारिसों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तमाम परिस्थितियों की जानकारी वादीगण को होते हुए भी वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए आदेश पारित करवाया गया है। जबकि कानूनी स्थिति यह है कि वादपत्र में बतौर पक्षकार स्थापित भंवरलाल व रामलाल की मृत्यु होने के कारण उक्त वादपत्र अबेट हो चुका था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र में जो तनकीयात् कायम की गई थी उनका विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन नहीं किया गया है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि स्व. पुरखाराम का पुत्र स्व. मोडाराम ने अपने जीवनकाल में ही स्व. हरनारायण को अपना भाई मानते हुए इंतकाल संख्या 70 दिनांक 25—03—1970 में अपनी सहमति दी गई थी तथा उक्त सहमति के आधार पर ही इंतकाल दर्ज करवाया गया था। इसकी एवज में मोडाराम द्वारा मिसल संख्या 10/69 में विरासतन इंतकाल में अपना शपथ पत्र स्व. हरनारायण के साथ विरासतन इंतकाल दजै करने बाबत पेश किया था जिसका दस्तावेज भी अपीलांट के पास मौजूद था। उक्त अहम दस्तावेज को प्रस्तुत करने का अपीलांट को अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में स्व. मोडाराम का स्व हरनारायण की जायदाद पर किसी प्रकार का कोई कानूनी हक पैदा नहीं होते हुए हुए भी उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए आदेश पारित करवाया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 को आधार मानते हुए स्व. हरनारायण को पुरखाराम का वारिस न मानकर लाभूराम का पुत्र होना माना है जो कतई कानूनन संभव नहीं है। वादग्रस्त भूमि आज भी रेस्पोडेन्टांन व अपीलांट के कब्जे काश्त में है व आज भी सह हिस्सेदार काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर कोई गौर किये बिना एक अतिक्रमी को बेदखल कर अन्य अतिक्रमी को कब्जा कराने की डिक्री पारित की गई है एवं एक अतिक्रमी से कब्जा खाली करवाकर दुसरे अतिक्रमी को विवादित जायदाद पर कब्जा करवा दिया जावे। जिसका कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरूद्व तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को हड़ताल के कारण प्राप्त नहीं हो सकी। नी ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा निर्णय की जानकारी प्रदान की गई। ऐसीस्थिति में अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में सीजे 2016 पार्ट III पेज 1822, सीजे 2016 पार्ट I पेज 111, डीएनजे 2013 पार्ट III पेज 987, डीएनजे 2017 पेज 415 व आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 1142 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि पैतृक हिन्दू परिवार की अविभाजित खातेदारी सम्पति है। उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट के पिता मोडाराम का 1/2 हक व हिस्सा निहित था। उक्त भूमि हरनारायण ने अमलामाल से मिलीभगत करते हुए अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली गई। इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एक दावा धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा, खाता तक्सीम का अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से डिक्री किया गया।

वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम राजस्व रिकार्ड व वोटर लिस्ट 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1971, 1975 व इंतकाल संख्या 259 ग्राम उदासर, खसरा गिरदावरी संवत् 2025, 2026, 2027 व 2028 प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार प्रदर्श 11 प्रस्तुत करते हुए मोडाराम का नाम काटकर मोडा व हरनारायण पिसरान पुरखा अंकित किया गया का सबूत पेश किया गया तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2025—2018 आदि प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कुल 14 तनकीयात् कायम की गई व क्त तनकीयात् को साबित करने का भार क्रमशः वादी/प्रतिवादीगण पर था। वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को जिन तनकीयात् को साबित करने का भार दिया गया था उक्त तनकीयात् को बखूबी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उक्त तनकीयात् के विवेचन से यह प्रथम दृष्टया ही साबित है कि वादग्रस्त भूमि पुरखाराम पुत्र आसुराम की मिसल बन्दोबस्त संवत् 2005 से चली आ रही थी तथा अधिनियम के प्रभाव में आने के दिना पुरखाराम विवादित भमि के काश्तकार थे अतः पैतृक भूमि में जन्म से ही वादीगण का अधिकार निहित है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 28 तादादी 79 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 89/44, 89/45, 89/52, 89/53, 89/60, 89/61 व खसरा नम्बर 109/4 कुल 80 बीघा भूमि के आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट आगे बहस करते हुए कथन किया कि जहां दस्तावेज प्रारम्भ से ही संदेहास्पद तथा शून्य एवं वॉयड़ हो, ऐसी स्थिति में ऐसे प्रभावहीन व शून्य दस्तावेजों के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। प्रकरण में जहॉं तक अपीलांट/प्रतिवादीगण की बहस नहीं सुने जाने का प्रश्न है अदालत मातहत के समक्ष उनके द्वारा नियमानुसार जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार दावे व जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् गवाह, ब्यान, साक्ष्य व सबूत के

उपरान्त कायम की गई तनकीयात का विस्तृत विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए विधि सम्मत रूप से वादीगण/रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के 1/2 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है।

प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि दौराने वाद भंवरलाल व रामलाल की मृत्यु होने के कारण उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। जब अपीलांट/प्रतिवादीगण स्वयं के ध्यान में यह तथ्य आ चुका था तो ऐसी स्थिति में उन्हें स्वयं न्यायालय के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसके बाहर जाकर ऐसा कोई ठोस कारण उनके द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाना था यह बताने में अपीलांट इस अपील में भी असफल रहे है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेते हुए अपीलाधन आदेश को निरस्त कराने की कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत कायम रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट्स ने परीक्षण न्यायालय की कार्यवाही में लगातार भाग लिया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए तीन माह विलम्ब का कारण संतोषजनकर नहीं है। अधिवक्ता द्वारा बताया गया हड़ताल का कारण जायज नहीं है क्योंकि हड़ताल के दौरान भी न्यायालयों का आवश्यक कार्य सुचारू रूप से होता है। अपील मीमों वकील द्वारा बैठकर तैयार करना आवश्यक नहीं है। वकील द्वारा तैयार करवाकर अपीलांट स्वयं अपील पेश कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा मियांद को कण्डोन करने का कारण संतोषजनक नहीं है।

हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91 183 व सपठित भू राजस्व अधिनियम की धारा 125—136 के तहत वाद प्रस्तुत वाद को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट/वादीगण को वादगत् भूमि के 1/2 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि दौराने दावा पक्षकार 1/4 रामलाल पुत्र लालाराम व शेराराम के वारिस भंवरलाल 2/2 की मृत्यु हो चुकी थी ऐसी स्थिति में रामलाल/भंवरलाल के जायज वारिसान को पक्षकार व साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों की जानकारी वादीगण को होते हुए भी वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए आदेश पारित करवाया गया है। जबकि कानूनी स्थिति यह है कि वादपत्र में बतौर पक्षकार स्थापित भंवरलाल व रामलाल की मृत्यु होने के कारण उक्त वादपत्र अबेट हो चुका था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि किसी पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा गलती करने पर वाद की सुनवाई के दौरान पक्षकार द्वारा दुरूस्ती करवाई जा सकती थी। ऐसीस्थिति में अपील में यह आधार लिया जाना उचित नहीं है। वादी रामलाल की वाद की सुनवाई के दौरान मृत्यु तथा वाद उपशमन की आपत्ति भी वाद की सुनवाई के दौरान नहीं की गई। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु अपील में विचारणीय नहीं है।

वादीगण द्वारा हरनारायण को लाभूराम का पुत्र बताकर वाद पेश किया गया था, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कथन का खण्डन नहीं किया गया। तहसीलदार के समक्ष पुरखाराम के वारिसों की जानकारी लेकर वैद्य वारिसों क हक में नामान्तरणकरण स्वीकृत करने का प्रश्न था। निर्विवाद नामान्तरणकरण के मामलों में अन्य पक्षों के बयान आदि लेना आवश्यक नहीं था फिर भी हरनारायण के पख में नामान्तरणकरण स्वीकृत करने के लिये विधिक प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनाई गई।

इससे तहसीलदार का उद्देश्य हरनारायण को अनुचित लाभ देने का प्रकट होता है। उक्त दस्तावेज परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश होता तो भी इससे हरनारायण को पुरखराम का पुत्र साबित करना संभव नहीं था। हरनारायण को लाभूराम का पुत्र होने के तथ्य पर अपीलांट स्पष्ट करने से बच रहे है तथा मोडाराम का बड़ा भाई स्वीकार करने पर जोर दे रहे है। हरनारायण यदि पुरखाराम का पुत्र था तो अलग से बयान लेकर मोडाराम का बड़ा भाई तथा पुरखाराम का पुत्र स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी।

अपीलांट कब्जे के आधार पर परीक्षण न्यायालय की डिक्री को चुनौती दे रहा है जबकि दावे का मुख्य अनुतोष खातेदारी की धोषणा व बेदखली का था जिसे वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किया है। वाद की सुनवाई के दौरान नया पक्षकार संयोजित करने बाबत् आपत्ति की जा सकती थी। अपील में उक्त प्रश्न को उठाना गैर वाजिब है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30—04—2013 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर